



Shailesh Pandey @Shailespande... · 11m :
 प्रदेश का दूसरे नंबर का शहर बिलासपुर जहां केंद्रीय मंत्री और
 उप मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ बीजेपी सरकार की क़ानून व्यवस्था
 एसी है तो बाक़ी प्रदेश का क्या हाल होगा।

सरकंडा इलाके में ज्यादा केस : धारदार हाथियार से वार करने पर

शहर में चाकूबाजी बढ़ी, मामूली कहासुना व रंजिश में तो कहीं लूटपाट करने दिखा रहे चाकू

बिलासपुर: जिले में चाकूबाजी की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामूली विवाद में भी अपराधी चाकूबाजी चलाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, बावजूद इसके चाकूबाजी की घटना घटने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के दर्ज अपराधों की माने तो धारदार हाथियार से वार करने के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। कुछ मामलों में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार चुकी है तो कुछ मामलों में आरोपी फरार हैं। सरकंडा क्षेत्र में संवैधिक चाकूबाजी के मामले सामने आए हैं। पुलिस चाकूबाजी की घटना पर संख्यी से कार्रवाई का हवाला दे रही है।

केस स्टडी

केस 01	केस 02
प्रभात चौक विंगराजपुरा सरकंडा का निवासी रिमेश कर्मा अपने दोस्त लुट पांडेय के साथ घूम रहा था। इस दौरान पुरानी रंजिश के चलते विंगराजपुरा निवासी राजीव यादव व शनि साहू ने चाकू से रिमेश कर्मा पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।	बसोड मोड़का रयाम नगर विंगिवाडीह सरकंडा बसोड राजी मजपूरी व धरेलू काम करती है। सरस्वती बसोड ने बताया कि उनका बेटा आदर्श बसोड व भतीजा सौरभ बसोड बात कर रहे थे। इस दौरान प्रकाश सुर्यवंशी आया और पुरानी रंजिश के चलते बटनदार चाकू से हमला कर घायल कर दिया।

केस 03

जूना बिलासपुर पधरीघाट निवासी राहुल केवट अपनी प्रेमिका के साथ विंगराजपुरा में घूम रहा था। इस दौरान युवती का पुराना प्रेमी रेहान उर्फ अजमल पिता असमल कुरेशी ने दोनों को धूमने देखा आक्रोशित हो गया और अपने साथियों को बुला लिया। विवाद के दौरान रेहान ने राहुल को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में दो आरोपी फरार हैं।

चाकूबाजी की घटना सामने आने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सबसे ज्यादा कार्रवाई सरकंडा क्षेत्र में हुई है। पुलिस आरोपियों के गंभीर धारुओं के तहत कार्रवाई की है जिनमें 7 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पुलिस लगातार कार्रवाई आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास कर रही है।

अर्चना झा, एडवोकेट

ज्यादातर आरोपी नौसिखिए, जिनके खिलाफ थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं

मामूली विवाद में चाकू चलाने की घटना मिलने में आम हो चुकी है। हर दिन किसी न किसी थाने में कहासुनी या फिर पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। चाकूबाजी के सभी मामलों में एक बात सामान्य है कि वारदात को अंजाम देने वाले अधिकतर अपराधी पुलिस की आपराधिक सूची में नहीं हैं।

चाकू साथ में लेकर घूमना बना फैशन

चाकू रख घूमना और विवाद में चाकू मार देना जिले में फैशन बना जा रहा है। चाकूबाजी की संवैधिक घटनाएँ सरकंडा क्षेत्र से सामने आई हैं। जबकि आरोपियों आरोपियों के खिलाफ हत्या प्रयास व 327 की धारा भी लगाई जा रही है। इन धाराओं में 7 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान है।

होटल कर्मचारियों को चाकू से वार कर लूटा

रेस्टोरेंट कर्मचारी करण प्रवान सोमवार रात अपने साथियों निवेश यादव व अमित पनरिया के साथ अपने रुम जाने के लिए पैदल निकले थे। बिबिरदा मोड़ के पास बाइक व स्कुटी सवार युवकों ने धानी मोगने के बखने रुकवाया और करण निवेश व अमित पर चाकू से जोर में वारकर मोबाइल व नगद लूट लिए।

